





XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1586—दो/09

जिला—भिण्ड

नं तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—3—15	<p>इस प्रकरण में दिनांक 19—10—11 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है। अना. की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप.।</p> <p>अतः आवेदक अभि. की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p style="text-align: right;">स. द. रेय</p>	



०५८१५

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - /09 निगरानी - १५८६-II/०९

सूर्य नारायण दीक्षित पुत्र स्व० श्री
महावीर प्रसाद दीक्षित, उम्र 60 साल,
निवासी- खेरावाली गली मेहगांव जिला
मिण्ड (मध्य प्रदेश)निगरानीकर्ता
बनाम

1. ब्रह्म नारायण पुत्र शिवनारायण
2. सुरेश नारायण पुत्र शिवनारायण
दोनों निवासीगण - खेरावाली गली मेहगांव
जिला मिण्ड (मध्य प्रदेश)
3. मध्य प्रदेश शासन जरिये कलेक्टर
भू-अभिलेख जिला मिण्ड (मध्य प्रदेश)
4. तहसीलदार मेहगांव जिला मिण्ड (म.प्र.)
.....अनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक
20.10.09 द्वारा पारित न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुद्रिता प्रकरण
क्र. 63/2008-09 निगरानी सूर्यनारायण विस्तृत ब्रह्मनारायण के निर्णय
से दुखी होकर।

माननीय श्रीमान जी,